भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 224
दिनांक 27 नवम्बर, 2024/ 6 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी)

224 श्री दामोदर राव दिवाकोंडा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2022 में शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) शुरु किए जाने के बावजूद शहरी बाढ़ प्रशमन हेतु ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है, यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी; और
(ख) क्या मंत्रालय ने बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के रूप में 47 झीलों का पुनरुद्धार करने के लिए जीएचएमसी के 141.37 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की समीक्षा की है, यदि हां, तो इसकी क्या स्थिति है और धनराशि कब तक आवंटित कर दी जाएगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) एवं (ख): पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बाढ़ प्रबंधन के लिए एकीकृत समाधान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) से तीन महानगरों अर्थात मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में से प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि की और शहरी बाढ़ को रोकने के लिए चार शहरों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में से प्रत्येक के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि की भी सिफारिश की। एनडीएमएफ से आवंटन लागत-साझाकरण के आधार पर है, जिसमें राज्य अपने संसाधनों से 10 प्रतिशत

दिनांक 27.11.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 224

धनराशि का योगदान करते हैं। केंद्र सरकार ने हैदराबाद शहर में 47 झीलों का पुनरुद्धार सहित शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के 319.53 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 250 करोड़ रुपये शामिल हैं।

एनडीएमएफ दिशानिर्देशों में परिकल्पित अनुमोदन तंत्र के अनुसार, उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने दिनांक 25.07.2024 को आयोजित अपनी बैठक में हैदराबाद सहित छह (06) शहरों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। धनराशि को कुल स्वीकृत राशि के 30%, 40% और 30% की तीन किस्तों में जारी किया जाता है।

दिनांक 25.09.2024 को राज्य से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और उसके बाद दिनांक 26.10.2024 को नियम और शर्तों की स्वीकृति प्राप्त होने पर दिनांक 13.11.2024 को यूएफआरएमपी के तहत हैदराबाद शहर में शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने की दिशा में परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए तेलंगाना राज्य सरकार को 75 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

***